प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2015

विषय- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत नदी तल में अनन्य रूप से नदी तल में पाये जाने बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हों, के खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-3210/86-2014-278/2011, दिनांक 22.10.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-24 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली, 1963 के नियम-23 के उपनियम-(1) के अधीन ई-टेण्डरिंग से सम्बन्धित समस्त शासनादेशों को तत्कालिक प्रभाव से वापस लेते हुये उक्त शासनादेशों को निरस्त कर दिया गया तथा नियमावली, 1963 के अध्याय-दो, तीन एवं छः के उपबन्धों को लागू किया गया है। नियमावली,1963 के अध्याय-दो के अन्तर्गत नियम-6क के खनन पट्टा नवीनीकरण का प्राविधान है। अतः खनन पट्टों के नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-2183/86-2014-143/2014, दिनांक 11.07.2014 को तात्कालिक प्रभाव से एत्दद्वारा निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खनन पट्टों के नवीनीकरण के लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर शासन को आख्या उपलब्ध करायी जायेगी :-

1- पट्टा क्षेत्र का विवरण।
2- पट्टाधारक का विवरण।
3- पट्टे की मूल अवधि।
4- नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि।
5- नवीनीकरण शुल्क का विवरण, चालान संख्या, दिनांक, धनराशि।
6- पट्टाधारक के विरूद्ध कोई अवैध खनन का प्रकरण संज्ञान में आया हो तो उसका विवरण और इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय।
7- पट्टाधारक के विरूद्ध खनन देय का बकाया।
8- पट्टा अवधि में पट्टाधारक का आचरण।
9- पट्टाधारक के पक्ष में वर्तमान में स्वीकृत/प्रचलित अन्य पट्टों का विवरण यथा संख्या व रकबा, यदि कोई हो।
10- पट्टा क्षेत्र में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित है अथवा नहीं।
11- अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य।
12- विभागीय अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति/टिप्पणी।
13- जिलाधिकारी की स्पष्ट संस्तुति/टिप्पणी।

2- शासन की पूर्व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित खनन पट्टे का नवीनीकरण किया जायेगा। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in